अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 15/2008** **रॉकी कुमार टोप्पो व अन्य बनाम् प्रदीप अग्रवाल व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील नम्बर–87–R15/1997-98 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में आवेदक क्रमांक–02 एवं 03 एवं विपक्षियों की मृत्यु के पश्चात् उन्हें प्रतिस्थापित किया जा चुका है। प्रश्नगत् वाद में वर्ष–2014 में सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित नहीं किया जा सका तथा उचित निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई का निर्णय लेते हुये नोटिस निर्गत किये गये। यह आदेश दिनांक–16.03.2015 को पारित किये गये। उक्त तिथि के पश्चात् ही उभय पक्ष न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। विगत् 04 वर्षों से मात्र विपक्षी ही न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं। दिनांक–01.03.2021, 28.12.2021, 03.01.2022, 10.01.2022 को लगातार मौका देने के पश्चात् भी आवेदक उपस्थित नहीं हुये। पुनः दिनांक–21.04.2022 को मात्र विपक्षी ही न्यायालय में उपस्थित हुये, जिनके पक्ष को सुना गया। लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक बार एक सप्ताह का समय दिया गया, किन्तु मात्र विपक्षी की तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। पूर्व में भी वर्ष–2014 में आवेदकों के तरफ से लिखित बहस दायर नहीं की गयी। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। मूलतः अपीलीय न्यायालय में भूमि वापसी वाद संख्या–51/1993 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी थी। उक्त आवेदन सौवा उरांव द्वारा मातादीन अग्रवाल के विरूद्ध खाता नम्बर–110, प्लॉट नम्बर–274, रकबा–03 कट्ठा भूमि के लिये दायर किया गया था। विशेष पदाधिकारी, राँची द्वारा इस विषय की विस्तृत समीक्षा की गयी है। उक्त वाद में एक Intervenor के रूप में एक पक्षकार थे। विपक्षियों का मुख्य तर्क भूमि के छप्परबंदी होने एवं वाद के कालबाधित होने से संबंधित है। आर0 एस0 खतियान में प्रश्नगत् भूमि में मकान मय–सहन– वर्ष–1929 में दर्ज किया गया है। भूमि वापसी का वाद लगभग 60 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया तथा उक्त भूमि पर लगातार छप्परबंदी मानते हुये ही कार्रवाई की जाती रही है। निम्न् न्यायालयों द्वारा इसी आधार पर भूमि वापसी के दावे को रद्द किया गया है। एक अन्य भूमि वापसी वाद–1059/1976 रामचन्द्र बालू द्वारा दायर किया गया था, जो विशेष पदाधिकारी द्वारा 1981 में खारिज किया जा चुका है। प्रश्नगत् वाद में	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	सिकमीदार के अधिकारों का विषय भी सन्निहित है, क्योंकि उक्त खाता संतोष बांझरा के नाम से सिकमी खाता के रूप में दर्ज है।1973 में 03 कट्ठा भूमि की बिक्री विपक्षियों को रामचन्द्र बालू के द्वारा की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत् भूमि लगातार पुनरीक्षित सर्वे के समय से ही सिकमीदार के दखल में रही है। वर्ष–1997 में उक्त भूमि पर भूमि वापसी का दावा किया जाना स्पष्टतः कालबाधित है। आर0 एस0 खतियान में उक्त भूमि मकान मय–सहन दर्ज है, जिससे कि विपक्षियों के प्रश्नगत् भूमि के छप्परबंदी होने के संबंध में किये गये दावे को बल मिलता है। यह भी विचारणीय है कि आवेदकों के द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन में कोई भी आधार अंकित नहीं किये गये है। उनके द्वारा 02 अन्य भूमि वापसी वाद 52/1993–94 एवं 53/1993–94 में जिसमें आवेदकों के पक्ष में आदेश पारित हुआ है, का उल्लेख किया गया है। उक्त वादों में पारित आदेश देखने से प्रतीत होता है कि यह वाद भी प्लॉट नम्बर–274 से ही संबंधित थे। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या–179–R15/1996-97 में भूमि वापसी में रैयतों के वारिसों के बीच विवाद को देखते हुये पुनः प्रेषित किया गया था। विशेष पदाधिकारी के द्वारा इस वाद संख्या–53/1993–94 में भूमि किसे वापस की जाये, इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। स्पष्टतः उक्त भूमि के खतियानी रैयत के वारिसों की भी समुचित पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। वर्णित परिस्थिति में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य किया जा सके। अतः इस आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.23 15:00:59 +05:30
Location: 192.168.1.40